

फर्द अहकाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

मुकदमा

जोपालसिंह

विपक्षी

जुका

वॉड

पत्रावली संख्या

12/13

सन्

कार्यवाही विवरण

हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

15/7/22

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी/अपीलाण्ट/
प्रतिवादी/विपक्षी/रखो उपस्थित/पीठारीन
अधिकारी नहीं आजे अवकाश/भ्रमण/मिटिंग
में पधारें हे। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में
दिनांक 9/9/22 को पेश हो।

09/9/22

वकुलाय वादी/प्रतिवादी उप. तलवी 3.नं: 2
के लिये मौका चाहते है। अतः अंतिम
भवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 21/10/22
को पेश हो।


SDO मावली

21/10/22

आज दिनांक की कार एसोसियेशन मापली
में कार्य स्थगित रखने का अनुरोध किया।
अतः पत्रावली पूर्व आदेशनुसार दिनांक....
9/12/22 को पेश हो।

09/12/22

वकुलाय वादी/प्रतिवादी उप. / तलवी 3.नं: 2
के लिये मौका चाहते है। अतः अंतिम
भवसर दिया जाकर पत्रावली दि 13/01/23
को पेश हो।


SDO मावली

13/01/23

वकुलाय वादी/प्रतिवादी उप. / तलवी 3.नं: 2
के लिये मौका चाहते है। अतः अंतिम
भवसर दिया जाकर पत्रावली दि 17/02/23
को पेश हो।


SDO मावली

17/02/23

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी/अपीलाण्ट/
प्रतिवादी/विपक्षी/रखो उपस्थित/पीठारीन
अधिकारी नहीं आजे अवकाश/भ्रमण/मिटिंग
में पधारें हे। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में
दिनांक 21/04/23 को पेश हो।



21/4/23

पत्रावली पेश हुई। वालीय वादी/अधीनस्थ/अधिवादी/विपक्षी/वस्तु अधिवादी/दीनारीय अधिवादी पक्ष आज अवकाश/प्रपत्र/निहित न पेश है। पत्रावली पूर्व आदेश की धारणा में दिनांक 14/6/25 को पेश हो।

20/4/23

पत्रावली तलाश करने वाली के साथ अधिवक्ता के साथ पत्रावली में अधिवक्ता को पेश किया जाकर पत्रावली दिनांक 14/6/25 को पेश हो।

महायक कलेक्टर
'SDO' मावली

14/6/25

पत्रावली आज केस परा हुई। प्रकरण में पक्षकारों के मध्य राजी-नामा नहीं हो पाया। अतः पत्रावली पूर्व आदेश की धारणा में न्यायालय हाजा में दिनांक 14/7/25 को पेश हो।

महायक कलेक्टर
'SDO' मावली

14/7/23

बहुलाय वादी/प्रतिवादी उप. तलाश करने के लिये मौका चाहते हैं। अतः अधिवक्ता प्रवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 06/10/23 को पेश हो।

महायक कलेक्टर
'SDO' मावली

06/10/23

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादीगण मध्य वादीगण अनुपस्थित। आवाजे दिलवाई गई। समय सांय 5:00 PM हो चुका है, अनुपस्थित हैं। अतः अधिवक्ता मध्य वादीगण अनुपस्थित रहने पर वादीगण का बाद अदम हाजरी अदम फेंबी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार डेकर नम्बर से कम हो।

निर्णय सुनाया गया।



महायक कलेक्टर
'SDO' मावली